Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 202–2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2022 (KARTIKA 25, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 नवम्बर, 2022

संख्या 7/31/2014–3ए0आर0.– हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014–3ए.आर., दिनांक 16 अगस्त, 2022, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014–3ए.आर., दिनांक 16 अगस्त, 2022 में अनुसूची में, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे क्रम संख्या 42 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3	4	5	6	7
"43	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	(i) मूल नगरपालिका सीमाओं, नगर आयोजन योजनाओं, सुधार न्यास योजनाओं, पुनर्वास योजनाओं, नियमित कॉलिनियों तथा अधिसूचित कॉलिनियों में सभी आकारों के भूखण्डों /अन्य उपयोगों (संस्थागत तथा वाणिज्यक उपयोगों / 1000 वर्ग मी. या अधिक के आकार के स्थलों के सिवाय) जहां अपराध का शमन न हो, के लिए भवन योजनाओं की स्वीकृति।	सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 20 दिन	सम्बन्धित नगर निगम आयुक्त	सम्बन्धित मण्डल आयुक्त	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग
				नगर परिषद की दशा में सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पालिका समिति की दशा में सचिव	सम्बन्धित उप नगर पालिका आयुक्त	सम्बन्धित मण्डल आयुक्त

		(ii) मूल नगरपालिका सीमाओं में 1000 वर्ग मी. से 5000 वर्ग मी. के वाणिज्यक/ संस्थागत स्थलों के लिए भवन योजनाओं की स्वीकृति।	सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 60 दिन	नगर परिषद की दशा में सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पालिका समिति की दशा में सचिव	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग
		(iii) मूल नगरपालिका सीमाओं में 5000 वर्ग मी. से अधिक आकार के वाणिज्यक/ संस्थागत स्थलों के लिए भवन योजनाओं की स्वीकृति।	सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग
		(iv) भवन योजनाओं की स्वीकृति (नगर निगम गुरूग्राम तथा फरीदाबाद में 5 एकड़ तक के भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमति प्रदत्त स्थल) जहां अपराध का शमन न हो।	20 दिन	सम्बन्धित आयुक्त, नगर निगम, गुरूग्राम/ फरीदाबाद	सम्बन्धित मण्डल आयुक्त	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय
		(v) भवन योजनाओं की स्वीकृति (नगर निगम गुरूग्राम तथा फरीदाबाद में 5 एकड़ तक के भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमति प्रदत्त स्थलों के सिवाय) जहां अपराध का शमन न हो।	20 दिन	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग	——
44	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	नियन्त्रित क्षेत्रों व कनफर्मिंग जोन के प्रकाशित अन्तिम विकास योजना के भीतर राज्य के विभिन्न नियन्त्रित क्षेत्रों के भीतर स्थित ईकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति	सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 60 दिन	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग	——
45	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप–विधियाँ, 2018 और हरियाणा नगर पालिका विज्ञापन उप–विधियाँ, 2019 के अधीन विज्ञापन अधिकार प्रदान करने हेतु अनुमति जारी करना।	60 दिन	नगर निगम की दशा में आयुक्त नगर परिषद की दशा में कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पालिका समितियों की दशा में सचिव	नगर निगम की दशा में सम्बन्धित मण्डल आयुक्त नगर परिषद तथा नगर पालिका समिति की दशा में ज़िला नगर पालिका आयुक्त	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय
46	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	गड्ढों की मरम्मत (सड़कें)	05 दिन	नगर निगम की दशा में सहायक अभियन्ता नगर परिषद की दशा में पालिका अभियन्ता नगर पालिका समिति की दशा में कनिष्ठ अभियन्ता	नगर निगम की दशा में कार्यकारी अभियन्ता नगर परिषद की दशा में कार्यकारी अभियन्ता नगर पालिका समिति की दशा में पालिका अभियन्ता	नगर निगम की दशा में आयुक्त नगर परिषद तथा नगर पालिका समिति की दशा में ज़िला नगर पालिका आयुक्त"

संजीव कौशल,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 16th November, 2022

No.7/31/2014-3AR.– In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission, hereby makes the following amendment in Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated 16 August, 2022, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 16 August, 2022, in the Schedule, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, after serial number 42 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"43	Urban Local Bodies Department	(i) Sanction of building plans in original municipal limits, Town Planning schemes, Improvement Trust schemes, Rehabilitation schemes, regularized colonies and notified colonies for all plot size/ other uses (except institutional and Commercial use/ sites of 1000 sq. mtrs. or more) having no composition of offence.	20 days from the receipt of complete documents	Commissioner, Municipal Corporation concerned	Divisional Commissioner concerned	Director, Urban local Bodies
				Executive Officer concerned in case of Municipal Council and Secretary in case of Municipal Committee	Deputy Municipal Commissioner concerned	Divisional Commissioner concerned
		(ii) Sanction of building plans in the original municipal limits for commercial/ institutional uses for the sites 1000 sq. mtrs to 5000 sq. mtrs.	60 days from the receipt of complete documents	Executive Officer concerned in case of Municipal council and Secretary in case of Municipal Committee	Director, Urban Local Bodies Department	Principal Secretary to Government of Haryana, Urban Local Bodies Department
		(iii) Sanction of building plans in the original municipal limits for commercial/ institutional uses for the sites 5000 sq. mtrs. and above	60 days from the receipt of complete documents	Chief Town Planner, Urban Local Bodies Department	Director, Urban Local Bodies Department	Principal Secretary to Government of Haryana, Urban Local Bodies Department
		(iv) Sanction of building plans (CLU granted sites upto 5 acres in Municipal Corporation Gurugram and Faridabad) having no composition of offence.	20 days	Commissioner, Municipal Corporation concerned, Gurugram/ Faridabad	Divisional Commissioner concerned	Director, Urban Local Bodies Department

		(v) Sanction of building plans (CLU granted sites, except sites upto 5 acres in Municipal Corporation Gurugram and Faridabad) having no composition of offence	20 days	Director, Urban Local Bodies Department	Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Urban Local Bodies Department	--
44	Urban Local Bodies Department	Change of land use permission for the units situated within various controlled areas of the State within Final Published Development Plan of the Controlled Area and confirming zone.	60 days from the receipt of complete documents	Director, Urban Local Bodies Department	Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Urban Local Bodies Department	--
45	Urban Local Bodies Department	Issuance of permission for granting of advertisement rights under Haryana Municipal Corporation advertisement Byelaws, 2018 and Haryana Municipal advertisement Byelaws, 2019	60 days	Commissioner in case of Municipal Corporation Executive Officer concerned in case of Municipal Council Secretary in case of Municipal Committee	Divisional Commissioner concerned in the Municipal Corporation District Municipal Commissioner in Municipal Council and Committee	Director, Urban Local Bodies
46	Urban Local Bodies Department	Repair of Pot holes (Roads)	05 days	Assistant Engineer in case of Municipal Corporation Municipal Engineer in case of Municipal Council Junior Engineer in case of Municipal Committee	Executive Engineer in case of Municipal Corporation Executive Engineer in case of Municipal Council Municipal Engineer in case of Municipal Committee	Commissioner in case of Municipal Corporation District Municipal Commissioner in case of Municipal Council and Municipal Committee”

SANJEEV KAUSHAL,
Chief Secretary to Government, Haryana.

9979—C.S.—H.G.P. Pkl.